माड्यूल 1

निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएलआईएच) हेतु गांरटी आवेदन पत्र के जमा कराने से समझौते पर हस्ताक्षर करने तक ऋणदाता संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश

1) प्रस्तावना
2) प्रक्रिया चार्ट
3) सीआरजीएफटीएलआईएच के साथ ऋणदाता संस्थानों के द्वारा समझौते का क्रियान्वयन
4) योजना के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
5) गारंटी आवेदनपत्र भरने हेतु निर्देश तथा अनुलग्नक
6) सीआरजीएफटीएलआईएच हेतु आवेदन पत्र तथा गारंटी शुल्क की प्रेषिती को अग्रेषण
7) सीआरजीएफटीएलआईएच द्वारा गारंटी आवेदन प्रपत्र की पावती रसीद
8) सीआरजीएफटीएलआईएच के बारे में अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न
9) अनुलग्नक

प्रस्तावना

इस माड्यूल का उद्देश्य निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएलआईएच) के साथ(जिसे इसके बाद ''न्यास'' कहा जाएगा) समझौता हस्ताक्षरण के साथ प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया के बारे में सदस्य ऋणदाता संस्थानों के अधिकारियों को निम्न आय आवास हेतु जोखिम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) के पास आवेदन भेजने हेतु व्यापक जानकारी प्रदान करना है।

प्रक्रिया चार्ट

निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएलआईएच)के साथ पात्र ऋणदाता संस्थान समझौता क्रियान्वित करते हैं

↓

योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थान पात्र ऋण खातों की पहचान करते हैं

↓

सदस्य ऋणदाता संस्थान गारंटी आवेदन प्रपत्रों कोनिम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएलआईएच)को अग्रेषित करते हैं

↓

निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआ रजीएफटीएलआईएच)के द्वारा गांरटी आवेदन प्रपत्र की पावती रसीद

↓

निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआर जीएफटीएलआईएच)के द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थान हेतु गारंटी आवेदन प्रपत्र की पावती

सीआरजीएफटीएलआईएच के साथ ऋणदाता संस्थानों के द्वारा समझौते का क्रियान्वयन

जो ऋणदाता संस्थान **निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआर जीएफटीएलआईएच)** से आवृत ऋण जोखिम गारंटी चाहते हें, उन्हें विशिष्टीकृत प्रपत्र में न्यास के साथ एक समझौता(अनुबंध) क्रियान्वित करना होता है। यह प्रपत्र अनुलग्नक-। संलग्न है।

समझौते को तैयार करने और क्रियान्वयन करने से संबद्ध महत्वपूर्ण बिंदु

1) समझौते पर कार्यान्वयन स्थल के अनुरूप लागू स्टैंप ड्युटी(मुद्रांक शुल्क) के साथ मुद्रांकित(स्टैंप्ड) कराया जाए।
2) इस समझौते में तब तक कोई बदलाव/सुधार नहीं होना चाहिए जब तक कि न्यास से लिखित में सहमति और अनुमति प्राप्त हो।
3) समझौते को क्रियान्वित करने हेतु ऋणदाता संस्थान के निदेशक मंडल से संकल्प की प्रमाणित प्रति तथा योजना में प्राधिकृत नामांकन समझौता दस्तावेजों के साथ होना चाहिए। इस संकल्प में संस्थान के अधिकारी का नाम एवं पदनाम स्पष्ट रूप से उिल्लखित होना चाहिए, तदनुसार वह न्यास के साथ समझौता क्रियान्वित करने हेतु अधिकृत हो ।
4) समझौते में प्राधिकृत/ हस्ताक्षरी के द्वारा उपयुक्त स्थान पर ऋणदाता संस्थान की सील/मोहर लगाई जानी चाहिए।
5) इस समझौते की डुप्लीकेट (नकल प्रति) तैयार कर निम्न आय आवास जोखिम ऋण गारंटी निधि न्यास (सीआर जीएफटीएलआईएच) से पावती ली जा सकती है।

<u>ऋणदाता संस्थान के द्वारा योजना के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति</u>

योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के क्रम में ऋणदाता संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक योजना के लिए नोडल अधिकारी को नामित करें। पहचानकृत किया जानेवाला नोडल अधिकारी प्रधान कार्यालय में उच्च प्रबंधन स्तर का अधिकारी हो सकता है। निर्दिष्ट नोडल अधिकारी के नाम एवं पद की सूचना निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएलआईएच)के मुख्य कार्यपालक को दी जा सकती है।

ऋणदाता संस्थान को चाहिए कि वह योजना के नोडल अधिकारी के स्थानांतरण या किसी अन्य बदलाव आदि के बारे में न्यास को अद्यतित जानकारी प्रदान करता रहे।

<u>गारंटी आवेदनपत्र भरने हेतु निर्देश तथा अनुलग्नक</u>

नयास के द्वारा आवेदन पत्र की स्वीकार्यता तथा गारंटी के अभिचार(इन्वोकेशन) समय की दृष्टि से आवेदन प्रपत्र एवं अनुलग्नक का भरा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अंत: गारंटी आवेदन प्रपत्र एवं अनुलग्नक भरने के दौरान ऋणदाता संस्थान के द्वारा सर्वाधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। गारंटी आवेदन प्रपत्र एवं अनुलग्नक को अनुलग्नक- ।। एवं अनुलग्नक- ।।। में दिया गया है।

<u>गारंटी आवेदन प्रपत्र एवं अनुलग्नक भरने से संबद्ध महत्वपूर्ण बिंदु</u>

1) गारंटी आवेदन प्रपत्र एवं अनुलग्नक पूरी तरह से भरा होना चाहिए। इसमें कोई भी कॉलम/ सूचना खाली नहीं छोड़नी चाहिए।
2) इस योजना के तहत कवरेज(सम्मिलन) हेतु ऋणों की पात्रता के बारे में ऋणदाता संस्थानों को स्वयं ही संतुष्ट होना चाहिए।
3) ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना(सीआरजीएफएस) के अंतर्गत पारिभाषित मापदंड के अनुसार पात्रता पूरी करने वाले ऋण ही निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएलआईएच) के तहत ऋण जोखिम से आच्छादन(कवरेज) के पात्र हैं।
4) गारंटी आवेदन प्रपत्र जब निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएलआईएच) के पास अग्रेषित करें तब क्रम से संख्याकृत होने चाहिए। यह संख्या बिना किसी बाधा के एक प्रवाह में होने चाहिए।
5) गारंटी आवेदन पत्रों के ऋणदाता संस्थान में निदिर्ष्टि प्राधिकृत अधिकारी(नोडल अधिकारी) के द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
6) गारंटी आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक लगा होना चाहिए, जिसमें इस योजना के तहत आने वाले वैयकित्क ऋणों स्पष्ट विस्तृत विवरणों से परिपूर्ण होना चाहिए।
7) अनुलग्नक प्रपत्र इस आवेदन पत्र का पृथक अनिवार्य हिस्सा है।
8) अनुलग्नक का कॉलम 1 न्यास के द्वारा गारंटी स्वीकारने के समय भरा जाएगा।

सीआरजीएफटीएलआईएच हेतु आवेदन पत्र तथा गारंटी शुल्क की प्रेषिती की अग्रेषण

ऋणदाता संस्थान के द्वारा आवेदन पत्र की उपयुक्त तरीके से भरी गई भौतिक प्रति(हार्डकॉपी)निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) के पास अग्रेषित की जानी चाहिए। इसके महत्वपूर्ण संबंधित दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं-

1) निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफ टीएलआईएच)के पास आवेदन प्रेषित करने से पहले इस योजना के तहत आच्छादित सभी ऋणों की गारंटी शुल्क विशिष्ट गारंटी आवेदन प्रपत्र के के सेट के ईलैक्ट्रोनिक तरीके(एनईएफटी/आरटीजीएस) से चुकता कर न्यास में भेजनी है।
2) निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएल आईएच) के पास अग्रेषित गारंटी शुल्क चुकता करने के बाद चुकौती का यूटीआर नंबर आवेदन पत्र में इस उद्देश्य हेतु दिए गए स्थान पर भरना है।
3) निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफ टीएलआईएच) के साथ समझौता कार्यान्वयन के पश्चात ऋणदाता संस्थानों के पास न्यास का खाता विवरण संचारित कर दिया जाएगा।
4) गारंटी शुल्क के भुगतान की चुकौती केवल प्रधान कार्यालय के द्वारा भेजी जाए।
5) निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफ टीएलआईएच)के गारंटी आवेदन पत्र को नई दिल्ली में निम्नांकित पते पर अग्रेषित किया जाए:

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफ टीएलआईएच)
द्वारा- राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5 ए, तृतीय तल, इंडिया हैबिटाट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

<u>गारंटी आवेदन प्रपत्र/अनुलग्नक के भरने में सम्मिलित प्रक्रिया प्रवाह</u>

ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफएस) के तहत ऋणदाता संस्थान द्वारा पहचाने गए पात्र ऋण खाते ↓
पहचाने गए ऋण खातों का विवरण गारंटी आवेदन पत्र हेतु अनुलग्नक में भरेगए ↓
प्रत्येक ऋण हेतु गारंटी शुल्क की गणना की गई ↓
पात्रता से संतुष्ट होने के बाद गारंटी शुल्क को एनईएफटी/आरटीजीएस केमाध्यम सेनिम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफटीएल आईएच) को प्रेषित गया ↓
शुल्क चुकौती की प्रेषिती का यूटी आर नंबर डालते हुए विधिवत भरा गारंटी आवेदन पत्र कोअग्रेषित किया गया।

<u>निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(सीआरजीएफ टीएलआईएच) के द्वार गारंटी आवेदन पत्र की रसीद(पावती)</u>

गारंटी आवेदन पत्र, अनुलग्नक तथा गारंटी शुल्क की रसीद(पावती) के बाद, न्यास आवेदन पत्र की विधिवत संवीक्षा करेगा। ऋणदाता संस्थान को गारंटी आवेदन के साथ कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की जरूरत हो सकती है, यदि न्यास के द्वारा मांगी जाती है। आवेदन पत्र की स्वीकृति के पश्चात न्यास के द्वारा एक पावती का पत्र जारी करते हुए ऋणदाता संस्थान को अग्रेषित किया जाएगा।